संख्या– 655 /नौ–1–सिं0 (55 बजट/03)/2004

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक, 17 फरवरी, 2004

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत सिंचाई नहरों के निर्माण हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 4184/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 दिनांक 29.11.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नहर निर्माण की योजनाओं हेतु जिला अनुश्रवण समितियों से संस्तुत परिव्यय एवं नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परिव्यय में रू0 374.86 लाख (रूपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि के अन्तर को नाबार्ड से वित्त पोषित नलकूप निर्माण की योजनाओं में उपलबध परिव्यय की बचतों से उक्त योजना के लिए व्यवर्तित कर उक्त मद से उपलब्ध बजट व्यवस्था से ही व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज, रूल्स, टेडर/कुटेशन विषयक नियम मितव्यता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश तथा शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी किये गये अन्य आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

क्रमश.....2

5– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि उपभोग 31.03.2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 मे अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनागत –142–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें अन्य योजनायें (जिला योजना) 91–निर्माणाधीन सिंचाई नहर (जिला येाजना) –24–बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–2860/वि0 अनु0 –3/2004 दिनांक, 13 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या 655 /नौ–1–सिं0 (55 बजट/03)/2004/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– समस्त कोषाधिकारी /जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।